




# सती द मण्डर

## मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेन्शन

(2 अक्टूबर 2020)



सीटू महासचिव तपन सेन मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन को  
ऑनलाइन सम्बोधित करते हुए

सीटू केन्द्र की पत्रिकाओं के लिए खबरें, रिपोर्टें, फोटो कृपया इस मेल पर भेजें—  
[citujournals@gmail.com](mailto:citujournals@gmail.com)

## मजदूरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

बीएमएस को छोड़कर सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू), और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनों, द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को आयोजित ऑनलाइन मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के 1.25 लाख से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 26 नवंबर 2020 को मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल का फैसला लिया।

राष्ट्रीय सम्मेलन को इंटक के अध्यक्ष जी. संजीव रेण्डी, एटक की महासचिव अमरजीत कौर, एचएमएस के महासचिव, हरभजन सिंह सिंह, सीटू के महासचिव तपन सेन, एआईयूटीयूसी के महासचिव शंकर दासगुप्ता, टीयूसीसी के महासचिव जी. देवराजन, सेवा की सोनिया जॉर्ज, एक्टू के संतोष रॉय, एल.पी.एफ के महासचिव एम. षणमुगम सांसद, और यूटीयूसी से शत्रुजीत ने संबोधित किया।

राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा केंद्र और उनकी राज्य सरकारों में मजदूरों, किसानों और आम जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक बुनियादी अधिकारों पर हमलों की कड़ी निंदा करते हुए घोषणा-पत्र पारित किया। सम्मेलन में बीजेपी सरकारों द्वारा हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को और जो भी असहमति जाहिर करते हैं उन्हें फंसा कर, खत्म करने की कोशिश की निंदा की गई। सम्मेलन ने समाज के विभिन्न वर्गों और मजदूरों के सभी तबकों के संघर्षों के साथ समर्थन और एकजुटता व्यक्त की, रेलवे, कोयला, बीपीसीएल, बीएसएनएल, वित्तीय क्षेत्र आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण, निगमीकरण, एफडीआई आदि के खिलाफ मजदूरों के जुझारु प्रतिरोध संघर्ष का उल्लेख किया।

सम्मेलन ने यूपी में बिजली कर्मचारियों के हड़ताली संघर्ष, कोयला मजदूरों व प्रतिरक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़तालों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किये।

मतदान की अनुमति दिए बिना पारित किसान विरोधी, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ किसानों के संघर्ष के साथ सम्मेलन ने पूरी एकजुटता का इजहार किया, और राष्ट्रीय स्तर पर और देश के हर एक हिस्से में किसानों के संघर्ष को हर तरह से समर्थन देने और एकजुटता व्यक्त करना जारी रखने की घोषणा की।

सम्मेलन ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और हाथरस बलात्कार की निंदा की और पीड़िता को न्याय देने की मांग की।

सम्मेलन में हड़ताल से पहले देशव्यापी कार्रवाई कार्यक्रमों को पारित किया, जिसमें अक्टूबर 2020 में राज्य, जिला, उद्योग/क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त सम्मेलन तथा नवंबर मध्य तक जमीनी स्तर पर अभियान शामिल है।

एक दिन की हड़ताल की तैयारी आगे और अधिक तीखे, अधिक दृढ़ और लंबे संघर्षों के लिए है।

सम्मेलन ने सभी कामकाजी जनता का आह्वान किया कि वे चाहे संगठित हो या न हो, संबद्ध या स्वतंत्र हों, चाहे संगठित क्षेत्र से हों या असंगठित क्षेत्र से, एकजुट संघर्ष को तेज करने और 26 नवंबर, 2020 की देशव्यापी आम हड़ताल को एक संपूर्ण सफलता बनाने के लिए कार्य करें।

## सम्पादकीय

## सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुख्यपत्र

अक्टूबर 2020

## सम्पादक मण्डल

## सम्पादक

के. हेमलता

## कार्यकारी सम्पादक

जे. एस. मजुमदार

## सदस्य

तपन सेन,

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्णेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

## अंदर के पृष्ठों पर

राज्यों से

उ.प्र. बिजलीकर्मियों का संघर्ष

4

उद्योग एवं क्षेत्र

9

निर्धारित अवधि का रोजगार

16

निश्चिथ चौधरी

अंतर्राष्ट्रीय

इन्डोनेशिया में विरोध

19

हाथरस गैंगरेप के

21

खिलाफ विरोध

## पूँजीवाद का नव-सामान्य

19–20 अक्टूबर 2020 को सम्पन्न हुई सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक की रिपोर्ट भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिहाज से एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकती है। क्योंकि रिपोर्ट ने कोविद-19 की महामारी से पैदा हुए मौजूदा हालात को “असामान्य” स्थिति करार दिया है, जबकि पूँजीवादी कार्पोरेट्स और उनके शासकों द्वारा इसे “नव-सामान्य” अर्थात् अब तो यही चलेगा बता कर प्रचारित किया जा रहा है।

आम तौर से लोगों की यह समझ है कि कोविद की वजह से ये जो स्थिति बनी है वह अस्थायी है और जैसे ही महामारी खत्म होगी वैसे ही पहले जैसे ही पुराने हालात बहाल हो जायेंगे।

मगर कोविद महामारी और उसके बाद की वजह से बनी असामान्य स्थिति की आड़ में शासकों ने जनता के शोषण और राष्ट्रीय की सम्पत्तियों और प्राकृतिक संसाधनों की लूट-खसोट में तेज वृद्धि कर दी है। पूँजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से असफल साबित हुई है और चौतरफा संकट के गहरे दल-दल में फंस गयी है। इस दौरान भी पूँजीपतियों की मुनाफाखोरी को जारी रखने के कदम उठाए जा रहे हैं। इस लूट-खसोट और शोषण को बढ़ाने के साथ ही तानाशाही भी थोपी जा रही है; असहमति की आवाजों को दबाया जा रहा है; प्रदर्शनों, जलूसों जैसी स्पष्ट भागीदारी वाली विरोध कार्रवाहियों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं; फासीवादी तेवरों के साथ लोकतांत्रिक एवं मानव अधिकारों को कुचला जा रहा है। यही है उनका “नव-सामान्य” जिसे उन्होंने अपनी नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के लिए अब जबरन स्थायी रूप से लागू कर दिया है।

सीटू की रिपोर्ट ने इस ओर साफ-साफ इंगित किया है और इसका मुकाबला करने के लिए जनता के एक ज्यादा व्यापकतम गठबंधन को कायम करने का कार्यक्रम बनाया है। एक ऐसा गठबंधन जिसकी धुरी में उत्पादक मेहनतकश तबके रहेंगे जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्तर पर फैले हैं। जो बेहतरीन तरीके से संगठित होकर, बिना किसी रस्म-अदायगी, बिना किसी ऊपर के आव्हान का इन्तजार किये ही प्रतिरोध को अंजाम देंगे।

# राज्यों से

उत्तर प्रदेश

## बिजली कर्मचारी: शानदार संयुक्त संघर्ष और जीत

प्रेम नाथ राय

महासचिव, सीटू, उत्तर प्रदेश



मुरादाबाद



अनपरा पावर प्लांट



बुलन्दशहर

### 'कार्य बहिष्कार'

उत्तर प्रदेश में 15 लाख बिजली कर्मचारी जिनमें स्थायी और संविदा कर्मचारी, जूनियर अभियंता, उप-विभागीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता आदि सभी शामिल हैं, ने सभी यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (वी.के.एस.एस.) के एकल बैनर तले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपी-पीसीएल) की उत्पादन और वितरण इकाइयों के सभी 18 संगठन – 5 अक्टूबर की सुबह से, पर्याप्त अग्रिम सूचना और पूर्व-हड्डताल चेतावनी आंदोलन के बाद अनिश्चितकालीन 'कार्य बहिष्कार' पर थे।

उनकी योगी सरकार से यूपी-पीसीएल के निजीकरण के कदम को रोकने और पुर्वाचल विद्युत निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) के निजीकरण को रोकने की मांग थी, जिसमें पूरे पूर्वी यूपी के लिए यूपी-पीसीएल की बिजली वितरण इकाई में राज्य के 18 प्रशासनिक विभागों में से 5 का अस्तित्व खत्म करना शामिल था।

जवाब में, योगी सरकार ने एनटीपीसी, बीएचईएल एवं अन्य के इंजीनियरों और अन्य को पीवीवीएनएल इकाइयों का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया, जिला प्रशासन ने अपने सभी प्रतिष्ठानों में और बाहर भी शीर्ष अधिकारियों को तैनात किया, भारी पुलिस बल तैनात किया और सेना को तैयार रहने के लिए कहा।

एकता को तोड़ने के लिए सरकार ने संयुक्त संघर्ष समिति के मूल संगठनों के साथ अलग से चर्चा करने की कोशिश की। लेकिन, बीएमएस से सम्बद्ध संगठनों सहित सभी यूनियनों/संगठन ने दृढ़ रहकर अलग—अलग चर्चा करने से साफ मना कर दिया और केवल संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बैठक करने की मांग की।

**अंततः**: सरकार ने 2 से 5 अक्टूबर तक संयुक्त संघर्ष समिति के साथ लम्बी बैठक की, लेकिन बैठक विफल रही क्योंकि बैठक में मौजूद प्रभारी मंत्री ने, अपने 'आकाओं' का फोन आने के बाद, प्रशासन को अंतिम क्षण में समझौते के सहमत मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्देश दिया।

इस बीच, सभी एत्पादन एवं वितरण इकाइयों में पूरी तरह 'कार्य बहिष्कार' हो गया, काम पर रखे गए कर्मी विफल हुए और बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गयी। इसके साथ ही योगी सरकार भी लड़खड़ा गयी।

इसके तुरंत बाद, मुख्यमंत्री ने एक मंत्री स्तरीय उपसमिति का गठन किया, जिसने 6 अक्टूबर को शाम 3:30 बजे संयुक्त संघर्ष समिति के साथ चर्चा की और उसी शाम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 'कार्य बहिष्कार' को वापस ले लिया गया।

### ऐतिहासिक समझौता

हस्ताक्षरित समझौते में कहा गया है कि (1) पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन एवं निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है, (2) इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है (3) यूपी में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी, (4) कर्मचारियों और इंजीनियरों को विश्वास में लिये बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।

यह विचाराधीन विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 की पृष्ठभूमि में एक ऐतिहासिक समझौता है, केंद्रीय वित्त मंत्री के कोविड के राहत पैकेज के पांच चरणों में बिजली के निजीकरण पर जोर देना और राज्यों को धन देना, और बिजली के निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों के एकजुट और जुङारु देशव्यापी आंदोलन।

### उत्पत्ति

मोदी सरकार और उसके बिजली मंत्री आर.के. सिंह सार्वजनिक रूप से बिजली सुधार 'के नाम पर निजीकरण के लिए खुलकर बोलते रहे हैं। जब विद्युत (संशोधन) विधेयक 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया, तो अधिसूचना पर प्रतिक्रिया देने के लिए 5 मई तक का समय दिया। 1 जून को बिजली कर्मचारियों ने इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध करने का फैसला किया। सरकार ने प्रतिक्रिया की तारीख बढ़ा कर जुलाई के अंत तक कर दी। कर्मचारियों के संगठनों, अन्यों और कम से कम 15 राज्य सरकारों ने विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। इन्हें अनदेखा करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वर्तमान अधिनियम के भीतर, बिजली वितरण का निजीकरण किया जा सकता है। पीवीवीएनएल के निजीकरण का फैसला योगी सरकार ने इस सलाह के तहत ही लिया था।

कोयला मजदूरों के साथ देशव्यापी एकजुटता कार्रवाई के दौरान, संयुक्त संघर्ष समिति ने 28 अगस्त को लखनऊ में शक्ति भवन, यूपी—पीसीएल के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और यूपी—पीसीएल के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। चर्चा के दौरान, अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि पीवीवीएनएल का ए.टी. एंड सी. नुकसान 41 प्रतिशत तक पहुंच गया है, कि पीवीवीएनएल को विघटित कर दिया जाएगा और गोरखपुर, वाराणसी और मिर्जापुर में तीन अलग—अलग इकाइयों की स्थापना की जाएगी और निजी कंपनियों को ढेका दिया जाएगा।

### चेतावनी आंदोलन

संयुक्त संघर्ष समिति ने तत्काल, 24 अगस्त को नोटिस दिया, 1–18 सितंबर के दौरान पीवीवीएनएल की सभी इकाइयों में बैठकें की, और पहले पूरे राज्य में सभी बिजली प्रतिष्ठानों के सामने बैठकें कीं। 28 सितंबर को, शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के मौके पर, एक बैठक के बाद, लखनऊ में मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने नेताओं और कई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का सहारा लिया था, जिसके खिलाफ तत्काल बिजली कर्मचारियों ने राज्य भर में गिरफ्तारी दी थी और सरकार को सभी को देर शाम हिरासत से मुक्त करने के लिए मजबूर किया (सीटू सेंटर बुलेटिन 6, 1 अक्टूबर 2020)।

इसके बाद 29 सितंबर को 3 घंटे का व 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन 'कार्य बहिष्कार' किया गया। बाकी सब इतिहास है।

### निजीकरण पर पहले का समझौता

6 अक्टूबर का समझौता बिजली निजीकरण के खिलाफ योगी सरकार और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच दूसरा समझौता है। इससे पहले 2017 में गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मुरादाबाद और मेरठ सहित 5 बड़े शहरों और 'द पावर कॉरपोरेशन इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर' के नाम पर बलिया, इटवा, मऊ, राय बरेली, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर के 7 जिलों में बिजली के निजीकरण के लिए योगी सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी।

इस अधिसूचना के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्यव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया और 5 अप्रैल, 2018 को सरकार और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच समझौता हुआ, जिसके द्वारा अधिसूचना वापस ले ली गई। उस समझौते में इसी भाषा में इन्हीं बिंदुओं को दर्ज किया गया था, जैसा कि ऊपरोक्त 2020 के वर्तमान समझौते में बिंदु (3) और बिंदु (4) में है। (सीटू मजदूर, मई 2018)

## यूपी में बिजली कर्मचारियों की जीत – एक सबक

प्रसान्त एन. चौधरी

संयोजक, एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (वीकेएसएसएस), यूपी ने एक तीर से "मोदी और योगी सरकारों को मुंहतोड़ सबक सिखाया। हथियार का नाम है मजदूरों की मुकम्मल एकता।

'आत्मनिर्भर भारत' जैसे लंबे शब्दों की आड़ में निजीकरण, मोदी शासन की केंद्रीय आकांक्षा होने के नाते, लंबे समय तक की अनुकूलता के साथ, इस संघर्ष ने बाहर निकाल दिया गया है, और न केवल यूपी के बिजली कर्मचारियों की एकता को विजयी बनाया, बल्कि पूरे देश की सभी सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने के लिए एनडीए सरकार के कदमों के खिलाफ संघर्ष कर रहे देश के मजदूर वर्ग को एक सकारात्मक संदेश दिया।

यूपी की एकजुटता और मजदूरों और इंजीनियरों की एकता के चलते, बीएमएस ने खुद को वीकेएसएसएस से दूर रखने की हिम्मत नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से वाणिज्यिक खनन का विरोध करने वाले कोयला मजदूरों की 3 दिनों की हड़ताल में भी इसी तरह की एकजुटता देखी गयी। भारत के मजदूर वर्ग ने कोयला मजदूरों को कांतिकारी लाल सलामी दी। यूपी के बिजली कर्मचारियों और भारत के कोयला मजदूरों की वर्गीय एकता एक ही सुर में गाती है। कोयला मजदूरों के संघर्ष के प्रति एकजुटता में, विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) ने 18 अगस्त को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा दिवस मनाया।

यूपी में ‘‘योगी मैजिक’’ को वहां के बिजली कर्मचारियों की एकता ने हराया। देश में “मोदी मैजिक” को हराने की जिम्मेदारी मेहनतकश जनता के सभी वर्गों पर है। 2 अक्टूबर को 15 लाख से अधिक मजदूरों की भागीदारी के साथ मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने अपनी चुनौती की घोषणा की है। 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसी संघर्ष को जारी रखने के लिए है।

एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. के आह्वान पर, इसके सभी घटकों ने संघर्षरत यूपी बिजली कर्मचारियों के साथ एकजुटता में 29 सितंबर से देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। देश के 30 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संगठनों से यूपी के मुख्यमंत्री को हजारों पत्र भेजे गए।

यूपी के संघर्ष के अनुभव से, एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. ने मांग की है कि बिजली (संशोधन) विधेयक, 2020 के अलावा मानक बोली-प्रक्रिया दस्तावेज को समाप्त कर दिया जाए। भारत सरकार को राज्यों को अपनी संपत्ति को निजी हाथों में देने से संबंधित आदेश देने/सलाह देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बिजली का संघर्ष बिजली के सामाजिक-आर्थिक समर्थक चरित्र को बनाए रखने पर केंद्रित है। मजदूरों और कर्मचारियों की एकता सरकार को, बिक्री के लिए देश की बोली लगाने की उसकी नीति को बदलने के लिए मजबूर करेगी।

## सीटू का समर्थन

5 सितंबर को, सीटू महासचिव ने, मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी बिजली के निजीकरण के खिलाफ निडर संघर्ष और निजीकरण को रोकने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के अपने दूसरे चरण के संघर्ष को जारी रखने के लिए बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की संयुक्त संघर्ष समिति को बधाई देते हुए बयान जारी किया और उनके संघर्ष के साथ पूर्ण समर्थन और एकजुटता का ऐलान किया।

सीटू ने देश भर में अपनी सभी इकाइयों से आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को, उनके निजीकरण विरोधी संघर्ष का समर्थन करते हुए एकजुटता के संदेश भेजें। सीटू ने यूपी और पूरे देश की जनता से हर संभव तरीके से संघर्ष का समर्थन करने का भी आह्वान किया।

सीटू ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निजीकृत करने के लिए बोली लगाने के उनके प्रयास के लिए भाजपा की राज्य सरकार की निंदा की। सरकार के बिजली क्षेत्र के निजीकरण के फैसले से बिजली के मूल्यों में वृद्धि होगी और एक आवश्यक सेवा के तौर पर बिजली गरीब जनता के लिए खासकर दूरदराज के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगी।

सीटू ने यूपीपीसीएल प्रबंधन की, संयुक्त संघर्ष समिति के नेताओं से बात करने के बजाय उनको डराने और धमकाने की कोशिश और उनके साथ 18 नेताओं को एस्मा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम आदि के तहत कारावास की धमकी देते हुए नोटिस जारी करने की निंदा की।

बिजली के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष अकेले बिजली कर्मचारियों का संघर्ष नहीं है। यह समाज के सभी वर्गों, आम उपभोक्ताओं, किसानों, उद्योगों और औद्योगिक श्रमिकों को प्रभावित करता है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2020 के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे बिजली शुल्क में अत्यधिक वृद्धि होगी। इसलिए बिजली कर्मचारियों के साथ-साथ इस अधिनियम का विरोध करना सभी वर्गों के लिए जरुरी है।

सीटू ने केंद्र में भाजपा सरकार से विनाशकारी बिजली संशोधन बिल को तुरंत वापस लेने की मांग की।

सीटू ने जनता से आह्वान किया कि वे बिजली के निजीकरण के खिलाफ एकजुट हों और भाजपा सरकार को स्पष्ट शब्दों में बता दें – “हम किसी भी तरीके से बिजली का निजीकरण की नहीं सहेंगे।

## एआईकेएस ने यूपी इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स को संघर्ष और जीत की बधाई दी

9 अक्टूबर को एक बयान में, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) ने यूपी के विद्युत कर्मचारियों को उनके एकजुट संघर्ष और जीत के लिए शुभकामनाएँ दीं और कहा, “देश में कॉरपोरेट समर्थक कृषि भूमि कानून और श्रम कानून के खिलाफ किसान और मजदूर वर्ग के बढ़ते संघर्ष को, यूपी के बिजली कर्मचारियों की जीत जबरदस्त आत्मविश्वास और ताकत देती है। एआई.के.एस. ने यूपी के बिजली कर्मचारियों के साथ मजबूत एकजुटता व्यक्त की है और कहा है कि मजदूरों और किसानों की एकता सरकार को कॉरपोरेट घरानों को बिक्री के लिए देश की बोली लगाने की उसकी नीति को बदलने के लिए मजबूर करेगी।”

## पंजाब

### राज्य सरकार के आई.सी.डी.एस. को कमजोर करने के प्रयास के खिलाफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विशाल विरोध प्रदर्शन

सीटू की अखिल पंजाब आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन (ए.एम.यू.) द्वारा पंजाब के 11 जिलों से आये लगभग 8,000 आंगनवाड़ी कर्मियों (मजदूरों और सहायकों) ने 12 अक्टूबर को राज्य के शिक्षा मंत्री के गृह जिले संगरुर में उनके आवास तक मार्च किया, धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली और सार्वजनिक बैठक की।

वे, सभी सरकारी स्कूलों में नर्सरी स्कूल खोलने के पंजाब सरकार के फैसले और 3–6 वर्ष के सभी बच्चों को इन नर्सरी स्कूलों में भेजने के लिए जारी आदेश का विरोध कर रहे थे। इस उद्देश्य के लिए, सरकार ने नर्सरी शिक्षकों के लगभग 9000 पदों को भी मंजूरी दी। इस योजना से राज्य के लगभग 26,000 आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे।

मार्च का नेतृत्व आंगनवाड़ी कर्मचारियों की राष्ट्रीय फेडरेशन, आइफा की अध्यक्ष उषारानी, महासचिव ए.आर. सिंधु, सीटू राज्य महासचिव रघुनाथ सिंह के साथ यूनियन के नेता हरजीत कौर, सुभाष रानी और अमृत कौर व अन्य ने किया। जिला प्रशासन के माध्यम से, सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 को एएमयू के साथ मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के अपने निर्णय से अवगत कराया। यूनियन ने घोषणा की कि अगर सरकार इस मुद्दे पर बैठक में कर्मचारियों की चिंता को संबोधित नहीं करती है और ठोस आश्वासन देने में विफल रहती है तो यह आंदोलन तेज होगा।

सरकार की यह नर्सरी स्कूल योजना आई.सी.डी.एस. को कमजोर करती है यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आंगनवाड़ीयों के माध्यम से बचपन की देखभाल और शिक्षा की वैज्ञानिक अवधारणा के खिलाफ है और इसका उद्देश्य निजी नर्सरी, किंडरगार्टन स्कूलों को तेजी से वृद्धि करने की वैधता देना है।

सरकार ने बिना किसी अध्ययन, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की तैयारी के निर्णय लिया, और ऐसा तब है जब वह रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती करने में भी असफल है।

2017 में, सरकार पहली बार इस तरह का प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन, एएमयू के आंदोलनात्मक प्रतिरोध के कारण, सरकार ने यूनियन के साथ एक समझौता किया कि आंगनवाड़ीयों के किसी भी बच्चे का इन नर्सरी स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन सरकार ने कोविड महामारी और लॉकडाउन की आड़ में अचानक यह निर्णय लिया।

इससे पहले 2 अक्टूबर को, आई.सी.डी.एस. के स्थापना दिवस पर, 9 जिलों से आने वाली आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री का घेराव किया। लेकिन, वह यूनियन के साथ बैठक से बचने के लिए पिछले दरवाजे से घर से निकल गयी। इसने यूनियन को 12 अक्टूबर को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया।

# उद्योग एवं क्षेत्र

## प्रतिरक्षा

### प्रतिरक्षा उत्पादन के निगमीकरण की प्रक्रिया फ़िलाइल स्की

अपने चार फेडरेशनों— ए.आई.डी.ई.एफ., आई.एन.डी.डब्ल्यू.एफ., बी.पी.एम.एस. और एन.पी.डी.ई.एफ., के तहत प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने, मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उत्पादन कारखानों के निगमीकरण के माध्यम से निजीकरण के प्रयास के खिलाफ संयुक्त हड्डताल का नोटिस 4 अगस्त 2020 को दिया था, और 12 अक्टूबर की सुबह से अनिश्चितकालीन हड्डताल पर जाने का निर्णय लिया था। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशनें उनके साथ खड़े हुए और देशव्यापी जुझारु एकजुटता कार्रवाई की घोषणा की।

19 सितंबर को, पीआईबी के बयान के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय ने कॉरपोरेटाइजेशन प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने के अपने इरादे की घोषणा की और कहा “29.07.2020 को आयोजित बैठक में रक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) को, रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के तौर पर, एक या एक से अधिक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली तथा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत कॉरपोरेट संस्थाओं में, बदलने की मंजूरी दे दी है”; ‘सरकार ने प्रस्तावित निगमीकरण के खिलाफ ओएफबी के मजदूरों की हड्डताल और नोटिस में दर्ज उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया है’ और निगमीकरण की प्रक्रिया की देखरेख करने और कर्मचारियों की चिंता को दूर करने के लिए ‘रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में’ एक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया गया है।

जैसे—जैसे अनिश्चितकालीन हड्डताल की तारीख नजदीक आने लगी, सरकार ने निगमीकरण की प्रक्रिया को रोककर रखने और कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड्डताल से बचने के लिए अपनी साख बचाने का रास्ता निकाला।

सीएलसी (सी) के समक्ष सुलह बैठक 9 अक्टूबर को हुई, समझ बनी और रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हुए जिसमें यह कहा गया कि –सुलह प्रक्रिया के दौरान निगमीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी और कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड्डताल का आहवान वापस ले लिया।

हड्डताल की मार्गों दिनांक 04.08.2020 के बारे में दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति है कि समझौता वार्ताओं के दौर में नियोक्ता औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुच्छेद 33(1) के प्रावधानों का पालन करेगा और यूनियनें दिनांक 12.10.2020 से प्रस्तावित हड्डताल पर आगे नहीं बढ़ेंगी।

(समझौता वार्ता के लिखित ब्यौरे से)

सुलह प्रक्रिया के दौरान हड्डताल नोटिस में सभी मांगों से संबंधित मुद्दों में ‘कोई परिवर्तन नहीं’ का प्रावधान आई.डी.एक्ट की धारा 33 (1) में है।

आगे इस बात पर सहमति हुई कि रक्षा उत्पादन सचिव के साथ यूनियनों और ईजीओएम के बीच द्विपक्षीय चर्चा हो सकती है। हालाँकि, सरकार के अनुसार वे 19 सितंबर के पीआईबी बयान में घोषित सेवा की शर्तों के बारे में कर्मचारियों की चिंता पर चर्चा करेंगे, जबकि यूनियनों ने सुलह के तहत कुल मांगों पर जोर दिया, जिसमें, जैसा कि मिनट्स में लिखा गया और नीचे उल्लेख किया गया है, शामिल हैं।

यूनियन नेताओं ने बताया कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने एकतरफा तौर पर आर्डीनेन्स फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने का फैसला लिया जो कि विभिन्न रक्षामंत्रियों और सचिवों, रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा दिए गये आश्वासनों के खिलाफ है।

और

उन सभी ने माँग की कि आर्डीनेन्स फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने के फैसले को वापस लिया जाये और आर्डीनेन्स फैक्ट्री बोर्ड की क्षमता और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए।

## पोर्ट एवं डॉक

### कोचीन बंदरगाह पर अनिश्चितकालीन धरना



कोचीन पोर्ट जॉइंट ड्रेड यूनियन फोरम के नेतृत्व में, भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के कदम के खिलाफ 2 अक्टूबर को कोचीन पोर्ट में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य मेजर पोर्ट ड्रेड बिल के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों के सार्वजनिक स्वामित्व को ध्वस्त कर कॉरपोरेट स्वामित्व स्थापित करना है।

इसके अलावा आंदोलन, सरकार और प्रबंधन को प्रस्तावित कदम से हटने के लिए है, एक बार फिर विदेशी कंपनी डी.पी.वर्ल्ड के लिए भी है, जबकि वह वल्लरपोडम में आईसीटीटी के पहले चरण के संबंध में ही अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रही, और कोचीन पोर्ट को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में धकेल दिया। ड्रेड यूनियनों ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया।

**पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स का  
अर्थव्यापार भारतीय  
तिरोध दिवस**  
**30 सितम्बर, 2020**

- मेजर पोर्ट अर्थव्यापारी एस्ट 2020 के प्रस्तावित कानून को छोड़ दो
- जयाहरलाल जेल पोर्ट इंस्टट में जेनरल कॉर्टर टम्सनल का नियन्त्रण ना करें
- पोर्ट इंस्टट की कीमत पह रिवायर्से देने के लिए मेजर पोर्ट पर जोर न दें और पहले से दी गई राशि की मरपाई करें
- पीएलआर (लोनरा) का त्रुट्टा भ्रगतान करें
- एफआर 56 (ले) का अव्योग करके सामय से पहले सोकानिष्टि न करें

**WATER TRANSPORT WORKERS' FEDERATION OF INDIA  
CPEO (CITU)**

## महाराष्ट्र में जेएनपीटी टर्मिनल के निजीकरण का मजदूरों और जनता द्वारा विरोध



महाराष्ट्र के उरण में सभी पांच यूनियनों के जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट) के कार्यकर्ताओं ने 10 अक्टूबर को संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया और जेएनपीटी के कंटेनर टर्मिनल को आउटसोर्स करने के मोदी सरकार के प्रयास के खिलाफ जेएनपीटी के प्रशासनिक भवन के सामने बैठक की। जेएनपीटी का कंटेनर टर्मिनल भारत में कुल 17 पोर्ट कंटेनर टर्मिनलों में से, सार्वजनिक क्षेत्र में केवल एक और लाभदायक, भारत का सबसे बड़ा है। बाकी 16 बंदरगाहों को पहले ही आउटसोर्स किया जा चुका है। इस कदम से कार्यकर्ताओं के साथ—साथ इलाके के ग्रामीणों में असंतोष पैदा हो गया है, जो इसका विरोध करने के लिए भी आए थे। जेएनपीटी द्वारा नियोजित 1,430 कर्मचारी हैं, जिनकी नौकरियां कंटेनर टर्मिनलों के संचालन पर निर्भर करती हैं। आसपास के क्षेत्रों के 4,000 से अधिक लोग भी अपनी आजीविका के लिए जेएनपीटी पर निर्भर हैं। स्थानीय सीटू नेता पाटिल ने कहा कि सभी ट्रेड यूनियनों का समर्थन उन श्रमिकों, जो इसके लिए लड़ेंगे, के लिए उत्साहजनक है।

भाजपा और उनके नेताओं को छोड़कर शरद पवार सहित सभी राजनीतिक दल जेएनपीटी पर कर्मचारियों और जनता की मांग का समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना के सांसद श्रीरंग बरने (एलएस) और संजय राजत (आरएस), एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे (एलएस) सभी ने जहाजरानी मंत्री से मुलाकात की और जेएनपीटी टर्मिनल के निजीकरण का विरोध किया।

### इस्पात

#### सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र के समक्ष प्रदर्शन

हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन (सीटू) ने 9 सितंबर को भिलाई इस्पात संयंत्र के गेट के सामने प्रदर्शन और धरना दिया और 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.डब्ल्यू.एफ.आई.) के आव्हान पर 8-9



सितंबर को सेल (एस.ए.आई.एल.) के सभी प्रतिष्ठानों के सामने, स्थायी व ठेका मजदूरों के 44 महीनों से देय वेतन का भुगतान शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था।

कोविड-19 महामारी के बावजूद सेल ने जुलाई 2020 में रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, घरेलू में 29 प्रतिशत और निर्यात में 349 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2019-2020 में कर से पहले सेल का लाभ 3170,66 करोड़ रुपये था और कर के बाद लाभ 2021 करोड़ रुपये था। यन्हियोंने कहा कि कर्मचारियों की जी तोड़ मेहनत के बिना यह संभव ही नहीं हो सकता है। फिर भी, मजदूरों के वेतन समझौते को 44 महीनों से अधिक समय तक लंबित रखा गया है, जिससे उन्हें विशेष रूप से इस महामारी के दौरान कठिनाई हो रही है। पिछले समझौते के कई प्रावधानों जैसे एच.आर.ए., पेंशन आदि को अभी तक प्रबंधन द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया है।

## भेल

### भेल की जबरन जल्द सेवानिवृत्ति की योजना

नीति आयोग द्वारा निर्देशित और भारत सरकार की समय पूर्व जबरन सेवानिवृत्ति की नीति के संदर्भ में, प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने 40,000 कर्मचारियों को प्रबंधन-निर्धारित मानदंडों के तहत 'नौकरी जारी रखने में अक्षम' या मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 50 साल की आयु पूरी करने वाले और 15 साल की निरंतर सेवा कर चुके कर्मचारियों के लिए समय पूर्व जबरन सेवानिवृत्ति की योजना तैयार की है।

मोदी शासन के दौरान श्रम कानून में निश्चित अवधि के रोजगार 'की शुरुआत की पृष्ठभूमि में, मौजूदा स्थायी कर्मचारियों को निकालने के लिए यह 15 साल का मापदंड लगभग' निश्चित अवधि का रोजगार 'बन रहा है। यह स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र को पालन करने के लिए उदाहरण पेश कर रहा है।

इस संबंध में, बीएचईएल कॉर्पोरेट एचआर-हेड ने एक परिपत्र जारी किया, जो 7 सितंबर 2020 को देश भर में बीएचईएल की सभी 31 इकाइयों/प्रतिष्ठानों के एचआर को संबोधित किया गया है, जो नीचे दिया गया है। इसमें भारत सरकार की 'सार्वजनिक हित में नीति का उल्लेख किया है। इस संबंध में भेल के कर्मचारियों की जल्द सेवानिवृत्ति योजना भी सार्वजनिक हित में है।



**भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड**  
**Bharat Heavy Electricals Limited**

From: Manoj Singh, SDGM (HR), BHEL, Corp. Office, New Delhi  
To: Head of HR, BHEL



No. AA: HR:GTCP

Dated: 07.09.2020

#### **Sub: Implementation of Provisions related to Premature Retirement in General Terms and Conditions of Service regarding**

Reference is invited to HR Manual Para 8 of the General Terms and Conditions of Service pertaining to Pre-Mature Retirement of employees. As per the provisions, Management may pre-maturely retire a regular employee of the company who has completed 15 years of continuous service in the company and has attained 50 years of age on the criteria of performance and medical unfitness.

Accordingly, cases of all employees who attain the age of 50 years and have completed 15 years of continuous service are screened for the first time and every year thereafter for arriving at the list of employees meeting any of two laid down criteria of Performance or Medical unfitness for consideration of the Screening Committee for further continuance in service or otherwise. The policy is similar to provisions of FR 56 (j) in Government of India.

## केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार द्वारा जबरन सेवानिवृत्ति योजना को फिर लाये जाने की कड़ी निंदा की

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय फेडरेशन और एसोसिएशनों (सीटीयू) के संयुक्त मंच ने 31 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में सर्वसम्मति से भारत सरकार द्वारा एकतरफा और मनमाने ढंग से सरकारी कर्मचारियों पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति की शर्तें थोपने की निंदा की। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये 28 अगस्त 2020 के कार्यालयी ज्ञापन (ओएम) नंबर 25013 / 03 / 2019—एस्टी.ए-4 को तत्काल वापस लेने की माँग की।

भारत सरकार का ऐसा कदम कर्मचारियों, मजदूरों और उनके यूनियनों के मूल अधिकारों के प्रति उसके निरंकुश रवैये को दर्शाता है और देश के सभी श्रम कानूनों को बदलना, राष्ट्रीय हितों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र और कुछ सरकारी विभागों का विघटन और नियोक्ताओं के पक्ष में श्रम अधिकारों को पूरी तरह से निरस्त करने व उसका अडियल रवैया मजदूरों पर आभासी दासता की शर्तों को थोपे जाने का खुलासा करता है।

### **बी एस एन एल**

#### **4-जी को रद्द करने के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन**



श्रीनगर, जै एंड कै

शिलांग, मेघाल



सलेम, तमिलनाडु

करनाल, हरियाणा



बेरहामपुर, ओडिशा

हैदराबाद, तेलंगाना

बीएसएनएल की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों (एयूएसी) के तहत, बीएसएनएल के कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर 2020 को अपने 20 वें स्थापना दिवस पर मोदी सरकार द्वारा बीएसएनएल द्वारा जारी 4जी टेंडर रद्द कर, बीएसएनएल को अपनी 4 जी सेवा शुरू करने से रोकने, और 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में बीएसएनएल के हितों की रक्षा करने

में प्रबंधन की विफलता से यह सुनिश्चित होता है कि यह कभी भी पुनर्जीवित न हो, बीएसएनएल को समाप्त करने की भयावह रणनीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए काले बिल्ले पहन, इसके प्रतिष्ठानों के सामने देशव्यापी भूख हड़ताल कर 'काला दिवस' मनाया। यूनियनों ने कहा कि यह देश के संपूर्ण ऑनलाइन संचार नेटवर्क को संभालने के लिए रिलायंस जिओ की मदद करने की एक साजिश है।

## कोयला

### कोयला मजदूरों का तैयारी और चेतावनी आंदोलन



वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी रद्द करना, जिसे 9 नवंबर को पुनः निर्धारित, किया गया है, पीएसयू कोयला कंपनियों के निजीकरण/विनिवेश के किसी भी प्रयास का विरोध, – सीएमपीडीआईएल को सीआईएल से अलग करने के प्रयास का विरोध – भूमिहर लोगों को मुआवजा और नौकरियों के लिए और कोल इंडिया वार्षिकी योजना 2020 वापस लेने— कोयला खदानों को बंद करने के किसी भी एकतरफा फैसले के खिलाफ—मजदूर सेवा संबंधित 5 मांगें, श्रमिक विरोधी श्रम संहिता और किसान विरोधी तीन फार्म अधिनियमों को वापस लेने के लिए— और 2-4 जुलाई की कोयला श्रमिकों की हड़ताल के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए प्रशासनिक कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, आदि सहित अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सीटू एटक, इंटक, एचएमएस और बीएमएस के कोयला मजदूर संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने अपने संयुक्त नोटिस में सभी कोयला वहन वाले राज्यों में केंद्रीय पीएसयू कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिष्ठानों और कोयला खदानों में अपने चेतावनी आंदोलनकारी कार्यक्रमों की घोषणा की, और तेलंगाना में केंद्रीय-राज्य संयुक्त क्षेत्र के पीएसयू सिंगरेनी कोल कंपनी लिमिटेड द्वारा 30 सितंबर को सीएमडी को प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर, प्रदर्शनों का आयोजन किया, स्थानीय स्तर पर 1 अक्टूबर को गेट मीटिंग्स और जन अभियान और 8 अक्टूबर को देश भर के दोनों कोयला सार्वजनिक उपक्रमों की सभी इकाइयों में बड़े पैमाने पर धरना और प्रदर्शन की घोषणा की।

9 नवंबर के नीलामी दिवस के दिन या उससे पहले तीखे और व्यापक आंदोलन के लिए सरकार को आंदोलन की चेतावनी का संकेत दे रहे हैं।

## योजनाकर्मी

### आंगनवाड़ी कर्मचारियों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन 'आंगनवाड़ी बचाओ' दिवस में हजारों ने भाग लिया



आंध्र प्रदेश

तेलंगाना

केरल



पुदुचेरी

महाराष्ट्र

गुजरात



मध्य प्रदेश



हिमाचल प्रदेश



जे एंड के



छत्तीसगढ़



बिहार



पश्चिम बंगाल

2 अक्टूबर को आईसीडीएस के 45 वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर, 1 अक्टूबर 2020 को देष भर में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों (कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं) ने 'आंगनवाड़ियां बचाओ' दिवस मनाया। 14 राज्यों में परियोजना स्तर पर कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी।

'आंगनवाड़ियां बचाओ' दिवस पर यह सामूहिक विरोध, सरकार की नीतियों को उजागर करते हुए जो पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा / प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के संबंध में आईसीडीएस की गतिविधियों को बुरी तरह प्रभावित कर रही हैं, नई शिक्षा नीति, 2020, और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार पर जोर देना, और आईसीडीएस को मजबूत करने की जरूरत को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों और लाभार्थियों के बीच बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर अभियान का परिणाम था।

### महिला एवं बाल विकास मंत्री को 5 लाख विरोध पत्र: अभियान जारी

आइफा ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के शोषण पर प्रकाश डालते हुए पंजीकृत डाक / कूरियर सेवा के माध्यम से केंद्रीय डब्ल्यूसी.डी. मंत्री, स्मृति ईरानी को, संसद में उनके झूठे बयान के जवाब के रूप में, 5 लाख विरोध पत्र भेजने का अभियान शुरू किया। एक चौंकाने वाली घटना में, केंद्रीय डब्ल्यूसी.डी मंत्री ने 2 सितंबर को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, "हाल के दिनों में महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसी.डी) को अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के शोषण के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।" मंत्री का यह बयान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के शोषण पर मंत्री को भेजे गए असंख्य ज्ञापनों और असंख्य विरोधों की सच्चाई के खिलाफ है। आइफा केंद्र ने एक दर्जन शिकायतें प्रस्तुत की हैं और निचले स्तर की कमेटियों ने पिछले छह महीनों के दौरान असंख्य शिकायतें भेजी हैं, जिसमें महामारी और लॉकडाउन के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के जीवन को जोखिम में डालकर उनके शोषण को बयान किया गया है, इनमें न्यूनतम मजदूरी को लागू न करने पर, पेंशन या ग्रेच्युटी के बिना सेवानिवृत्ति, कोई सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी का भुगतान न करना आदि शामिल है।

## ‘निर्धारित अवधि रोजगार’

### ‘हायर एन्ड फायर’ को पिछले दरवाजे से वैध बनाने की नीति निषिथ चौधरी

‘निर्धारित अवधि रोजगार’ (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट) यानि एक तय अवधि के रोजगार की ओर केंद्र की भाजपा नेतृत्व की सरकार ‘श्रम कानून सुधारों’ के नाम पर देशी—विदेशी कारपोरेटों को विशेष लाभ देने के लिए पिछले कई वर्षों से योजनाबद्ध ढंग से बढ़ रही थी। कारपोरेटों को दी जा रही विशेष छूटों में यह एक है।

#### **कार्यकारी आदेश के माध्यम से कदम दर कदम घुसपैठ**

अक्टूबर 2016 में सरकार ने पहले अपेरल सैक्टर में फिक्स्ड टर्म एम्प्लायमेंट की शुरुआत की थी। बाद में 2017 में तथाकथित ‘मेक इन इंडिया’ तथा ‘नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन’ को आगे बढ़ाने के लिए इसे चमड़ा उद्योग तथा जूता चप्पल सैक्टर में शुरू किया गया था। वर्ष 2016 में सरकार ने सभी उद्योगों में ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लायमेंट’ शुरू करने के लिए औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियमों में संशोधन किया तथा संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन के सक्रिय विरोध को नजरअंदाज करते हुए 16 मार्च 2017 को गजट अधिसूचना जारी कर दी और इस प्रकार इसे सभी उद्योगों के लिए वैध बना दिया गया।

एकट के अंतर्गत अब रद्द कर दिए गए औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम स्थायी आदेश में शामिल किये जाने वाले मामलों को चिन्हित करते थे विशेषकर मजदूरों को वर्गीकृत करने के लिए तथा – स्थायी, अस्थायी, अप्रेटिस, प्रोवेशनर या बदली। तदनुसार, एकट के तहत बने मॉडल स्टैडिंग आर्डर रूल्स के शीड्यूल –1 में अलग अलग तरह के रोजगारों को परिभाषित किया गया।

इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैडिंग ऑर्डर्स) सेन्ट्रल रूल्स को संशोधित कर 6 अक्टूबर 2016 को गजट में अधिसूचित किया गया। अनुसूची के आइटम–1 में ‘बदलियों शब्द के बाद’ अपेरल मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में ‘निर्धारित अवधि रोजगार वाले श्रमिक’ जोड़ा गया तथा जी एस आर 976(ई) द्वारा नियमों में उल्लेख किया गया।

इसे 2017 में चमड़ा उद्योग तथा जूता चप्पल सैक्टर तक बढ़ा दिया गया जिसके बाद संशोधन के जरिये ‘एम्प्लॉयमेंट इन आल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज’ कर 17 मार्च 2018 को गजट में अधिसूचित कर दिया गया और इस प्रकार इस रोजगार व्यवस्था को सभी सैक्टरों में वैध बना दिया गया।

#### **बहानेबाजी**

इसी समय इस बारे में नियमों को बदलते हुए अनुसूची 1 में यह कहा गया – “एक फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट” वाला श्रमिक एक ऐसा श्रमिक है जिसे एक निर्धारित समय के लिए रोजगार कि लिखित संविदा या करार पर रखा गया है जो कहता है कि (अ) उसके काम के घंटे वेतन भत्ते व अन्य लाभ एक स्थायी श्रमिक से कम नहीं होंगे और (ब) वह अपने द्वारा दी गयी सेवाओं के अनुपात में उन सभी वैधानिक लाभों के योग्य होगा जो एक स्थायी श्रमिक को उपलब्ध होंगे, भले ही उसके रोजगार का काल नियमों के हिसाब से जरूरी योग्यता काल तक नहीं बढ़ता है। { जी एस आर 235(ई)}

इसी अधिसूचना में एक प्रावधान यह भी है कि रोजगार कि इस नयी व्यवस्था के फलस्वरूप स्थायी पदों को समाप्त नहीं किया जायेगा। नियमों का एक नया सेवशन 3ए जोड़ा गया जो कहता है, ”(3ए) एक औद्योगिक प्रतिष्ठान का मालिक अपने प्रतिष्ठान में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैडिंग ऑर्डर्स) सेन्ट्रल (अमेंडमेंट) रूल्स 2018 के अमल के बाद मौजूदा स्थायी पदों को फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में नहीं बदलेगा, यही नहीं नियम 5 में आइटम (6ए) के स्थान पर बदलाव कर ”(6ए) फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले श्रमिकों की संख्या जिसमें किसी भी प्रतिष्ठान में प्रमाणित स्टैडिंग ऑर्डर्स में फिक्स्ड टर्म श्रमिकों कि संख्या का उल्लेख सुनिश्चित हो।

इससे यह मन जा सकता है की इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप 'फिकस्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' वाले श्रमिक—एक जैसे काम के घंटों, वेतन, भत्तों व स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले अन्य लाभों के हकदार होंगे तथा उन्हें अन्य लाभ जैसे उसी दर पर उनके सेवाकाल के अनुपात में ग्रेच्युटी मिलेगी एक प्रतिष्ठान में ऐसे श्रमिकों की कुल संख्या को भी प्रमाणित स्टैडिंग ऑर्डर्स में उल्लेखित किया जायेगा की— ऐसी नियुक्ति से स्थायी पद समाप्त नहीं होंगे। नियोक्ता अब इस व्यवस्था में बिना किसी ठेकेदार को बीच में रखे सीधे श्रमिकों की नियुक्ति करने में समर्थ होंगे।

### **अन्य देशों की स्थिति**

कई अन्य देशों में फिकस्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की ऐसी व्यवस्था कई वर्षों से है, लेकिन वहाँ एक समय सीमा है। बेल्जियम में एक व्यक्ति को प्रत्येक दो वर्षों की अवधि के लिए अधिकतम चार बार रखा जा सकता है, फ्रांस में प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए दो बार, जर्मनी में प्रत्येक दो वर्ष की अवधि के लिए तीन बार, यूके में प्रावधान है की फिकस्ड टर्म कर्मचारी की लगातार चार वर्ष की सेवा के बाद स्थायी दर्जा दिया जाता है। चीन व वियतनाम में दो बार की मंजूरी है उसके बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में फिकस्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्षों और कार्यकाल की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

### **चोरी छिपे 'हायर एन्ड फायर' का कानून**

ठेका श्रम नियमन एंव उन्मूलन अधिनियम 1970 में भी नियोक्ताओं के लिए लगातार चलने वाले रोजगारों में ठेका श्रमिकों को लगाने में कुछ बढ़ाएं थी हालाँकि कानून के ऐसे प्रावधानों को न केवल निजी नियोक्ताओं के द्वारा भी पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन भी कानून के इन प्रावधानों पर अमल कराने में असफल रहा। अब रद्द कर दिए गए ठेका श्रम नियमन एंव उन्मूलन अधिनियम 1970 के ज्यादातर प्रावधान जो ठेका श्रमिकों के बारे में थे उन्हें नये बने ऑक्यूपैशनल सेफटी हेल्थ एन्ड वर्किंग कंडीशंस कोड में कमज़ोर करके रखा गया है जिससे नियोक्ताओं को फायदा हो।

इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 को न्यूनतम मजदूरों की न्यूनतम संख्या की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करके सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उससे छूट दे दी गयी है और इस तरह से 70 प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्र की 74 प्रतिशत श्रम शक्ति सभी श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दी गयी है और नियोक्ताओं यानि मालिकों को मनमर्जी से हायर एन्ड फायर करने की शक्ति मिल गयी है। इन छोड़ दिए गए 70 प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रोजगार के नियमन के संबंध में से किसी प्रमाणित स्टैडिंग आर्डर की आवश्यकता नहीं है। इन मालिकों के लिए फिकस्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट भी लगभग वैध बनाई जा रही 'हायर एन्ड फायर' के समान ही है। लेकिन मामला यही समाप्त नहीं हो जाता। औद्योगिक संबंध संहिता को तीन अधिनियमों— औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को समाप्त कर 23 सितम्बर 2020 को जल्दबाजी में संसद में पारित कराया गया।

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 के परिवर्तित नियमों की अनुसूची 1ए में जिसे जी एस आर 235(ई) के द्वारा 16 मार्च 2018 को अनुसूचित किया गया है उसमे 'फिकस्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कमेन' की परिभाषा को इस बदलाव के साथ नए बने इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 में रखा गया है कि— ऐसे सभी तय अवधि रोजगार ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार होंगे यदि उन्होंने एक वर्ष तक काम किया होगा। औद्योगिक संबंध संहिता की धाराएं 26 से 39 तक स्टैडिंग आर्डर के बारे में तथा कोड की अनुसूची 1 में दिए गए स्थायी आदेशों में शामिल किये जाने वाले बिंदुओं के बारे में काफी कुछ कहती है। आगे यह भी कहा गया है की बाद में केंद्र सरकार मॉडल स्टैडिंग ऑर्डर्स की घोषणा करेगी।

लेकिन आश्चर्य कि यह प्रावधान कि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई मालिक उस प्रतिष्ठान में मौजूद स्थायी श्रमिकों के पदों को तय अवधि रोजगार में नहीं बदल सकेगा औद्योगिक संबंध संहिता में कहीं भी दिखाई नहीं

पड़ता। जाहिर है कि इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली से प्रकाशित 5 अक्टूबर 2020 के डेकन हेराल्ड, बिजनेस स्टैंडर्ड समेत प्रिंट मीडिया कि सुर्खियां थीं – “प्रतिष्ठान अब स्थायी रोजगारों को तय अवधि संविदाओं में बदल सकती है”, तो क्या भविष्य में नियोक्ताओं को स्थायी मजदूरों के पदों को तय अवधि रोजगार में बदलने की मंजूरी होगी? यदि स्थायी पद नहीं होंगे यानि स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट में समान व एक बराबर वेतन व लाभ मिलने का प्रावधान तो पूरी तरह बेमानी हो जायेगा।

### अनुभव

हालिया अनुभव क्या है? अभी तक केंद्र में भी, अलायन्स एआर (जो एआर इंडिया कि सब्सिडियरी है), में सभी जहाज उड़ाने वाले कर्मचारी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के हैं और उनका वेतन व लाभ एआर इंडिया के नियमित कर्मचारियों से बहुत काम है। इसी तरह से, ओ एन जी सी में एक्सफ्लोरेशन के काम में लगे मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा वर्षों से फिक्स्ड टर्म पर काम कर रहा है परन्तु ओ एन सी जी के वैसा ही काम करने वाले नियमित कर्मचारियों से कंही कम पाता है। इसलिए फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को समान काम के घंटे, वेतन, भत्ते व अन्य लाभों की लम्बी चौड़ी बातें और कुछ नहीं बल्कि फिक्स्ड टर्म रोजगार को वैध बनाने के लिए एक छलावा है।

### निष्कर्ष

बराबर रोजगार छिन जाने के खतरे के साथे में और नवीनीकरण के प्रलोभन में रहने वाले फिक्स्ड टर्म कर्मचारी कभी इस स्थिति में नहीं होंगे कि वे नियोक्ताओं से इन सुविधाओं की मांग पर जोर दे सकें।

यह पूरी तरह स्पष्ट है कि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के इस प्रावधान को कुल मिलकर संगठित स्थायी रोजगार कि अवधारणा को खत्म कर देने के लिए तैयार किया गया है ताकि श्रम लागत को कम से कम किया जा सके तथा कार्यस्थलों से ट्रेड यूनियनों का अंतः सफाया किया जा सके जिससे मालिक निर्विघ्न शोषण कर सके।

## सार्वजनिक उद्यमों की सम्पत्ति का मुद्रीकरण

मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की शुरुआत कर दी है (जमीन सहित संपत्ति बेचकर)। नीति आयोग ने पहले से ही मुद्रीकरण के लिए पीएसयूके स्वामित्व वाली संपत्ति की पहचान कर ली है और सूची का अब विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निरक्षण किया जा रहा है।

अब तक इस सूची में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और कोलकाता मेट्रो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल हैं।

ये भारतीय रेलवे के अतिरिक्त हैं, जहाँ सरकार ने पहले से ही चलने वाली ट्रेनों में निजी क्षेत्र से भागीदारी प्राप्त करने और मेट्रो स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पावर ग्रिड को रुपये 20,000 करोड़ की कीमत वाली ट्रांसमिशन लाइनों का दो चरणों में मुद्रीकरण करने के लिए कहा गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट मॉडल के माध्यम से संपत्ति के मुद्रीकरण के लिए महाराष्ट्र पीएसयू को मंजूरी देने के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की पृष्ठभूमि में यह सामने आया है। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों को भी ऐसी परिसंपत्तियों की पहचान करने और सूची साझा करने के लिए कहा गया है।

प्रक्रिया को ‘विनिवेश’ की व्यापक परिभाषा के तहत वर्गीकृत किया गया है। वित्त वर्ष 21 के लिए, केंद्र विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है।

# आंतराष्ट्रीय

## नये श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया में विरोध प्रदर्शन



बांगुंग में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन

"पुलिस ने कई उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रदर्शनकारियों पर आसू गैस चलाई, क्योंकि उन्होंने महल के परिसर में जाने की कोशिश की, जिससे सड़कें धुएं से भरे लड़ाई के मैदान में बदल गई। प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और बोतलें फेंकी" "पूरे देश में बड़े शहरों में इसी तरह की झड़पें हुईं, जिनमें योग्याकार्ता, मेडान, मकासार, मनाडो और बांगुंग शामिल हैं।"

10 अक्टूबर को भारतीय कॉरपोरेट मीडिया में, इंडोनेशिया में श्रम सहित सर्वव्यापी कानून के विरोध के बारे में यही सुर्खियां और रिपोर्टिंग थीं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, कोई शक नहीं कि छात्र इंडोनेशिया में नए कानून के विरोध में थे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि छात्रों को उनके भविष्य के बारे में चिंतित होने की वैध शिकायत है, लेकिन भारत में प्रिंट मीडिया में इस तरह की रिपोर्टिंग जानबूझकर वास्तविक मुद्दे से ध्यान हटाने का एक प्रयास है, नए कानून के खिलाफ इंडोनेशिया में संगठित ट्रेड युनियन आंदोलन को छिपाने के लिए, और विरोध की लोकतांत्रिक आवाज का दमन – सब पूंजी की सेवा में।

प्रेस ने यह भी बताया कि इंडोनेशिया के सुरक्षा मंत्री मोहम्मद महफूद, सेना प्रमुख और अन्य बड़े नेताओं, ने 8 अक्टूबर को देर रात एक टेलीविजन समाचार सम्मेलन में बताया कि प्रदर्शनकारी उन लोगों की स्थितियों के प्रति असंवेदनशील थे जो कोविड-19 और वित्तीय कठिनाइयों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स के प्रवक्ता विकू अदिसा स्मितो ने कहा, "हम आपको याद दिलाते हैं कि हम अभी भी एक महामारी की स्थिति में हैं, यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है।" जनविरोधी कानून को महामारी में पारित किया जा सकता है, लेकिन, इसके खिलाफ विरोध करो, तो आपातकाल का बैरीकेड लगा दिया जाता है।

6-8 अक्टूबर को देशव्यापी मजदूर आम हड़ताल से ठीक पहले, तथाकथित सर्वव्यापी 'जॉब क्रिएशन लॉ' को इंडोनेशिया की संसद द्वारा 5 अक्टूबर को जल्दबाजी में मंजूरी दे दी गई, 9 में से 7 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया।

नया सर्वव्यापी कानून, 1,000 पृष्ठों से अधिक लंबा है, 79 मौजूदा कानूनों में संशोधन करता है, व्यवसाय के लिए सभी प्रोटोकॉल को हटाता है, मजदूरों पर गुलामी की स्थितियों को लागू करता है और देशी-विदेशी कारपोरेटों को पर्यावरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की छूट देता है।

यह क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी को समाप्त करता है, वेतन में अधिकतम 32 महीने से लेकर 19 महीने तक की कटौती करता है, एक दिन में 4 घंटे और एक सप्ताह में 18 घंटे तक ओवरटाइम बढ़ाता है, साप्ताहिक छुट्टी को दो दिन से घटाकर एक दिन करता है, देश के बाहर से मजदूरों को काम पर रखने सहित आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध कम करता है।

इस कानून को, विभिन्न देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जल्द ही चीन से बाहर निकलने की और अपने यहां आमंत्रित करने की उम्मीद करते हुए बनाया गया है। इंडोनेशियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया है।

ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आव्हान पर, हजारों मजदूरों ने 6-8 अक्टूबर को देशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल का सहारा लिया और शहरों और औद्योगिक केंद्रों में हजारों प्रदर्शन हुए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडोनेशियाई ट्रेड यूनियंस (केएसपीआई) ने कहा कि 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले, कई दिनों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में 32 श्रमिक यूनियनों और फेडरेशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 मिलियन से अधिक मजदूरों ने हड़ताल और रैलियों में भाग लिया।

जकार्ता में पुलिस ने मजदूरों को वहां एक सामूहिक रैली करने से रोकने के लिए संसद की ओर जाने वाली सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, और कम से कम 200 हाई स्कूल के छात्रों को हिरासत में लिया, जिन्होंने परिसर में पहुंचने का प्रयास किया। देश भर में अनेक मजदूरों और छात्रों को गिरफतार किया गया। ट्रेड यूनियनों और छात्रों सहित 15 कार्यकर्ता समूहों के गठबंधन ने आंदोलन का नेतृत्व किया।

## टेली-वर्किंग पर डब्ल्यू.एफ.टी.यू.

(16 सितम्बर 2020)

'टेली-वर्किंग का मजदूरों की कामकाजी परिस्थितियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जैसे कि कार्यभार में वृद्धि, नियोक्ताओं की मांग कि कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध रहना, सप्ताह में 7 दिन, इंटरनेट कनेक्शन और आवश्यक सॉफ्टवेयर, का प्रावधान नहीं कंपनियों द्वारा मुफ्त एर्गोनोमिक उपकरणों को उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं (उपयुक्त कुर्सियां, बड़ी स्क्रीन, आदि), जिनकी लागत कर्मचारियों द्वारा वहन की जाती है।

इसके अलावा, टेली-वर्किंग के माध्यम से, श्रमिक अपने सहयोगियों से अलग रहते हुए काम करते हैं, इससे ट्रेड यूनियन कार्रवाई के साथ, उनके संगठन के दावों के पर ही नहीं बल्कि उनके मूँड और मनोविज्ञान पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

घर से काम करना, नियोक्ता द्वारा उल्लंघनों को नियंत्रित करना असंभव बनाता है, उदाहरण के लिए मजबूर या अवैतनिक ओवरटाइम, चूंकि श्रम निरीक्षण प्रणाली द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाता है। घर से काम करते समय काम पर दुर्घटना की स्थिति में, कर्मचारी घर पर अकेला और असहाय होता है, ऐसे में नियोक्ताओं के लिए दुर्घटना की प्रकृति को एक व्यावसायिक के रूप में छिपाना और अपनी जिम्मेदारियों से बचना बहुत आसान होता है।

यहां तक कि कंपनियों से मांग की गई है कि "टेली-वर्कस" की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, उनके मूल अधिकारों और सम्मान का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए, उनके घरों में कैमरे लगाये।

महामारी के अवसर पर सरकारें,, इसे एक ऐसा काम बना कर कि जो नियोक्ता एकतरफा लागू कर सकते हैं, और जब तक वे चाहें, या स्थायी आधार पर, अपने परिचालन खर्च को कम कर सकते हैं और श्रमिकों का शोषण तेज कर सकते हैं, काम के इस रूप को सामान्य और वैध बनाने का प्रयास करती है।

सरकारें महामारी के अंत के बाद भी, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों में, टेली-वर्किंग को बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं।

भारत जैसे देशों में, टेली-मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक सहायता के रूप में और सभी के लिए आधुनिक, सार्वजनिक और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के पूरक के रूप में नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य संरचनाओं में भारी, दुखद कमियों जिनके परिणामस्वरूप श्रमिकों को महामारी के दौरान अत्यधिक रूप से अनुभव करना पड़ा है, को छिपाने के लिए है।

सभी देशों के जुझारु ट्रेड यूनियनों को सरकारों और नियोक्ताओं की इन योजनाओं का विरोध करना चाहिए, जो लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पर नए आर्थिक संकट के प्रभावों की भरपाई मजदूरों और गरीबों से करने के लिए व्यापक योजना का हिस्सा है।

# हाथरस में दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और क्रूर हत्या का विरोध

## हाथरस गया प्रतिनिधिमंडल



जन संगठनों के प्रतिनिधि पीड़िता के परिवार से मिलते हुए

चार राष्ट्रीय संगठनों सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू और एडवा का प्रतिनिधित्व करते हुए, एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, 4 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के हाथरस में बुलगढ़ी गाँव का दौरा किया और दलित महिला के भूमिहीन परिवार के साथ एकजुटता का इजहार किया, जिसकी भूस्वामी उच्च जाति के पुरुषों द्वारा सामूहिक बलात्कार और निर्भम हत्या कर दी गई थी। प्रतिनिधिमंडल पुलिस द्वारा हिरासत में लेने और 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद बहुत मुश्किल से पीड़ित परिवार से मिल सका। पुलिस द्वारा गांव को बंद कर दिया गया और पड़ोसियों को आतंकित कर दिया था।

प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित के माता-पिता रामादेवी और ओमप्रकाश, और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बर्बर घटना से हैरान परेशान परिवार के सदस्यों ने अपनी बेटी की मौत के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लड़की की माँ ने बताया कि कैसे अमानवीय तरीके से पुलिस ने उनकी बच्ची का दाह संस्कार कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें उसे देखने की अनुमति भी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी ने अपनी मौत से पहले दोषियों का नाम बताया। प्रत्येक चरण में पुलिस की मिलीभगत पर भी सवाल उठाया गया था। अधिकारियों द्वारा लड़की के भाई के ससुर को मारा पीटा गया।

लड़की के पिता ओमप्रकाश ने टीम को बताया कि उन्हें भाजपा राज्य सरकार या उसके द्वारा घोषित सीबीआई जांच में विश्वास नहीं है। परिवार चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जाँच हो। टीम ने मांग का समर्थन किया और कानूनी सहायता सहित हर तरह से समर्थन का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पहले काम कर चुके, ओमप्रकाश ने कहा कि वह, लाल झंडा, हमारे संगठनों, से परिचित थे और न्याय के लिए उनके संघर्ष में समर्थन का अनुरोध किया।

इस महादलित खेत मजदूर परिवार के पास अपने घर के अलावा कोई जमीन नहीं है। उनके पास उच्च जातियों के खेतों में मजदूरी करने, जिसके लिए उन्हें दैनिक वेतन के रूप में 200 रुपये मिलते हैं, के अलावा कोई आय नहीं है। परिवार को उच्च जाति के जर्मीदारों से लगातार खतरा है। एक पड़ोसी ने कहा कि पीड़िता के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल में एआईकेएस के संयुक्त सचिव वीजू कृष्णन, सीटू की सचिव, एआर सिंधु, एआईएडब्ल्यूयू के महासिचव बी. वेंकट, और संयुक्त सचिव विक्रम सिंह, एडवा की कोषाध्यक्ष पुण्यवती, और संयुक्त सचिव आशा शर्मा, व उत्तर प्रदेश के राज्य के नेता – एआईएडब्ल्यूयू के बृजलाल भारती, एआईकेएस के भारत सिंह, एडवा नेताओं और माकपा अलीगढ़ के जिला सचिव मोहम्मद इदरिस भी शामिल थे।

## योगी सरकार की निंदा :

### सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

चार संगठनों – सीटू एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू और एडवा – की ओर से उनके राश्ट्रीय महासचिवों – तपन सेन, हन्नान मोल्लाह, बी. वेंकट और मारियम धावले ने संयुक्त बयान जारी कर उत्तर प्रदेश के, हाथरस में दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या के अपराध के अपराधियों को बचाने के प्रयासों, पीड़िता के गरीब खेत मजदूर परिवार के खिलाफ जमीदार समूहों की धमकियों और आतंकी गतिविधियों के प्रति उदासीनता के लिए भाजपा सरकार की कड़ी निंदा की।

बयान में कहा गया कि जिस आपराधिक तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इस मामले के साथ-साथ बलात्कार, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामलों को संभाला जा रहा है, उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

संगठनों ने महिलाओं और दलितों पर बढ़ते अत्याचार के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

हाथरस में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हुए, उन्होंने, देश में नवउदारवाद विरोधी संघर्ष व कॉर्पोरेट के खिलाफ संघर्ष के एक अभिन्न अंग के रूप में, दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक साथ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने के लिए सभी वर्ग और जन आंदोलनों का आह्वान किया।

हाथरस सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या मामले के बारे में, चारों संगठनों ने मांग की – (1) सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाथरस मामले की समयबद्ध प्रभावी जाँच, – (2) पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को, जो अपने कर्तव्य से विमुख थे, कड़ा दंड दिया जाए– (3) पीड़ित के परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करना, और (4) न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करना सुनिश्चित करें।

## हाथरस में वाम दलों का प्रतिनिधिमंडल



माकपा और भाकपा के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने हाथरस का दौरा किया और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। एक संयुक्त बयान में पार्टीयों ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के साथ पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात व भाकपा के महासचिव डी. राजा और राश्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, और उनके यूपी के राज्य सचिव हीरालाल यादव और गिरीष शर्मा ने निर्मम सामूहिक बलात्कार और अंततः मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घिकार 19 वर्षीय दलित महिला के परिवार से भेंट करने में शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने परिवार के साथ उनके दुखद नुकसान पर पूरी एकजुटता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन दिया कि वामपंथी दल यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंसाफ हो और इस भयावह अपराध के अपराधियों को

कड़ी सजा दी जाए, दृढ़तापूर्वक प्रयास करेंगे। दोनों दलों ने कहा है कि एजेंसी के हालिया रिकॉर्ड को देखते हुए, सीबीआई को जांच सौंपने से न्याय सुनिश्चित नहीं होगा। अदालतों की निगरानी और पर्यवेक्षण के तहत एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

## देशव्यापी विरोध

सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू एडवा व डीएसएमएम ने हाथरस में दलित महिला के सामूहिक बलात्कार और निर्मम हत्या के मामले के खिलाफ 13 अक्टूबर, 2020 को देशव्यापी विरोध का संयुक्त आह्वान किया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जांच की मांग की।



राष्ट्रीय नेता जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में

नई दिल्ली: सीटू, एआईकेएस, खेतमजदूर यनियन, एडवा, एसएफआई और बीएए के राष्ट्रीय नेता जिसमें – सीटू के तपन सेन, एआईकेएस के हन्नान मोल्लाह, एआईएडब्ल्यूयू के बी. वेंकट, एसएफआई के मयूख बिस्वास – और एडवा की मैमूना मोल्लाह, भूमि अधिकार आन्दोलन (बीएए) के सौरभ कुमार सभी के महासचिवों ने धरने में भाग लिया और जंतर मंतर पर बैठक को संबोधित किया।

अपने दिल्ली राज्य के नेताओं के अलावा केंद्र के अन्य राष्ट्रीय नेता जिनमें एस देव रॉय, एम एल मलकोटिया, एआर सिंधु, ए गुहा और सीटू के जे एस मजूमदार और एआईकेएस के वीजू कृष्णन व पी कृष्णाप्रसाद, एआईएडब्ल्यूयू के विक्रम सिंह और एडवा की आशा शर्मा ने भी धरने में भाग लिया।

दिल्ली एनसीआर के कई स्थानों पर सीटू की दिल्ली राज्य समिति ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन किये।

केरल: 13 जिलों में 1205 स्थानों पर 7091 से अधिक लोग विरोध में शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम में, धरने का उद्घाटन एआईकेएस नेता और माकपा पोलिटिकल ब्यूरो के सदस्य एस आर पिल्लई ने किया और इसमें सीटू के प्रदेश अध्यक्ष अनाथलावट्टम आनंदम और अन्य ने भाग लिया।

त्रिपुरा: हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बर्बर बलात्कार और हत्या के खिलाफ सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू और जीएमपी ने संयुक्त रूप से अगरतला में एक जुझारु विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। माकपा के कार्यालय के बाहर से प्लेकार्ड और झंडों के साथ एक जुलूस में बटतला और फिर पैराडाइज चौमुहनी तक मार्च किया, लेकिन सिटी सेंटर के सामने विशाल पुलिस बल द्वारा रास्ते में रोक दिया गया, जहां इसे सीटू के प्रदेश अध्यक्ष मानिक डे, एआईकेएस के राज्य सचिव नारायण कर और एआईएडब्ल्यूयू के राज्य सचिव श्यामल डे ने संबोधित किया।

इसी तरह का कार्यक्रम पनीसागर, अमरपुर, धर्मनगर, उदयपुर और कमालपुर में आयोजित किया गया था। इन सभी स्थानों पर लोग आकर विरोध में शामिल हो गए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की के सामूहिक बलात्कार और नृशंस हत्या के खिलाफ और देश में दलितों, महिलाओं और अन्य सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया गया। शाम को मोमबत्ती की रोशनी के साथ तिरंगा पार्क, एबरडीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर में अच्छी संख्या में महिला मजदूरों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

जम्मू और कश्मीर: सीटू से संबद्ध ट्रेड यूनियन संगठनों ने श्रीनगर में यूपी के हाथरस में एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। प्लेकार्ड्स और बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने इस जघन्य अपराध के अपराधियों के खिलाफ नारेबाजी की।

उत्तराखण्ड: राज्य की राजधानी देहरादून में सीटू ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया।

पंजाब: सीटू और उसके संबद्ध यूनियनों द्वारा पूरे राज्य में मोदी और योगी सरकारों के पुतलों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किए गए। (अन्य राज्यों से रिपोर्ट का इंतजार है)



त्रिपुरा



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

छत्तीसगढ़



## उत्तराखण्ड



## पंजाब



## श्यामल '२८२४'

(श्यामल की याद में)



सामने से नेतृत्व करते हुए



सीटू के कोलकता ऑफिस में बाम भोर्च के अध्यक्ष बिमान बसु,  
सीटू के दिवंगत नेता पर स्मरण पुस्तिका 'श्यामल स्मरने', का विमोचन करते हुए

## कॉमरेड श्यामल: हम आपको हमेशा याद रखेंगे

**के. के. द्विवाकरन**

महासचिव, ए.आई.आर.टी.एफ और राष्ट्रीय सचिव, सीटू

कॉमरेड श्यामल चक्रवर्ती हमें हमेशा के लिए छोड़ गये हैं, लेकिन वास्तव में वह आज भी हमारे साथ हैं। उनकी छवि बंगाल के मेहनतकश जनता के दिलों में है, खासकर हमारे देश के परिवहन कर्मचारियों की यादों में। जहां तक सवाल सीटू नेता का है, तो नेता और जनता एक है। कॉमरेड श्यामल इसका एक महान उदाहरण थे। उन्होंने कई लेख और किताबें लिखी हैं जो ज्यादातर बंगाली में हैं। उन्होंने बंगाल में विशेष रूप से वामपंथी आंदोलन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे देश में फैल रहे सांप्रदायिक वायरस के खिलाफ अभियान में उनके योगदान के लिए कॉमरेड श्यामल को हमेशा याद किया जाएगा।

3 जुलाई 2020 को, मैंने सड़क परिवहन फेडरेशन के 5 अगस्त के संयुक्त कार्यक्रम पर चर्चा और संयुक्त कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए उनसे फोन पर बात की। उन्होंने प्रस्तावों का समर्थन किया और जवाब दिया कि एकता को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को और तेज किया जाना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं, वह हर तरह से एक अच्छे संगठनकर्ता और प्रचारक थे। एक बार कॉमरेड ए. सौदरराजन (तमिलनाडु सीटू अध्यक्ष) ने मुझे उनके भाषण के बारे में बताया जो उन्होंने मदुरई में तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट यूनियन द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में दिया था। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ हजारों कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए थे। भाषण बहुत प्रेरणादायक था और इसने अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया। समाज को बदलने के लिए मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने रामायण और महाभारत की कई बातों का हवाला दिया, जिसने दर्शकों को प्रेरित किया। इसके बाद, कई मौकों पर कार्यकर्ताओं ने बैठकों में उनकी भागीदारी की मांग की।

हमारे फेडरेशन के विशाखापत्तनम सम्मेलन तक, वह अधिक काम करने वाले अध्यक्ष थे और इस सम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1992 में, मुझे कॉमरेड श्यामल चक्रवर्ती और ख. कॉमरेड नारायण साहा के साथ बांग्लादेश जाने का अवसर मिला। हमने परिवहन कर्मचारियों के एक सम्मेलन में भाग लिया और वहाँ लगभग 3 सप्ताह भी बिताए। इस अवधि के दौरान, वह कॉमरेड ज्योति बसु के नेतृत्व वाले मंत्रालय में परिवहन मंत्री थे। बांग्लादेश छोड़ने से पहले, हमने उनके पैतृक घर का दौरा किया और वहाँ लगभग एक घंटा बिताया। उसके बाद, एक स्थानीय स्कूल में एक बड़ा स्वागत हुआ जो अनपढ़ ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उनके दादा जी द्वारा स्थापित किया गया था। कॉमरेड श्यामल, स्कूल के संस्थापक के पोते, को मिलने के लिए पूरा गाँव वँहा स्कूल में इकट्ठा हुआ।

पूरे देश में हमारे संगठन के विस्तार में उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। वह हमेशा एकता और संघर्ष के लिए खड़े रहे और अपने सभी साधियों को यहीं संदेश दिया।

जैसा कि हम जानते हैं, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कई चुनौतियां हैं।

हमारे प्रधान मंत्री बार-बार कह रहे हैं कि राष्ट्र के मामले सुरक्षित और सक्षम हाथों में हैं। जब कोरोना वायरस फैलने लगा, तो उन्होंने 'महाभारत' का उदाहरण देते हुए 21 दिनों में निर्णयिक जीत का वादा किया। यह भी सिर्फ एक और खोखला वादा था। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना वायरस संक्रमण मामलों वाला देश है कॉमरेड श्यामल भी इस वायरस का शिकार हुए थे।

मई 2019 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मजदूर वर्ग और कामकाजी जनता के सभी तबकों पर हमले तेज हो गए हैं। आर्थिक मंदी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई नव-उदारवादी नीतियों का एक उत्पाद है। इस संकट से निकलने के लिए, सरकार कॉरपोरेट को अधिक से अधिक रियायतें दे रही है। नौकरी छूटना और बेरोजगारी बढ़ना सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के उत्पाद हैं।

मोदी सरकार की कॉरपोरेट और विदेशी पूँजी समर्थक नीतियों के खिलाफ इन बढ़ते प्रतिरोधों के एक हिस्से के रूप में, अधिक से अधिक संघर्ष आयोजित किए जाने हैं। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए किसान भी मजदूरों के साथ जुड़ रहे हैं। अब हमारा ध्यान रोजगार और मजदूरी से संबंधित मांगों पर है। विरोध की कार्रवाइयों में सभी जगह लामबंद करने की तैयारी होनी चाहिए। अब जनता के अलग-अलग वर्ग अपनी जीविका और अधिकारों की रक्षा के लिए सामने आ रहे हैं। इन संघर्षों को हिंदुत्व तानाशाही के खिलाफ लड़ाई से जोड़ा जाना चाहिए जो सभी नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है और उन्हें नागरिक स्वतंत्रता से वंचित कर रही है।

श्यामल चक्रवर्ती जैसे बड़े नेता का नुकसान शासक वर्ग द्वारा निर्दयतापूर्वक शोषित मजदूर वर्ग का नुकसान है। हम दिवंगत नेता कॉमरेड श्यामल चक्रवर्ती को सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी बेटी और परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं।

# ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਆੱਗਨਬਾਡੀ ਕਰਮਚਾਰਿਯਾਂ ਕੀ ਜੁੜਾਰੂ ਰੈਲੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ

(12 ਅਕਤੂਬਰ 2020)



(ਰਿਪੋਰਟ ਪ੃. 8)